

**THE RUBBER (SECOND AMENDMENT)  
RULES, 1965**

SHRI S. V. RAMASWAMY: Madam, I also beg to lay on the Table, under subsection (3) of section 25 of the Rubber Act, 1947, a copy of the Ministry of Commerce Notification G.S.R. No. 1397, dated the 10th September, 1965, publishing the Rubber (Second Amendment) Rules, 1965. [Placed in Library. See No. LT-5128/65.]

**THE DELHI MOTOR VEHICLES  
TAXATION (AMENDMENT) BILL,  
1965—contd.**

THE DEPUTY CHAIRMAN: We go on to legislative business: The Delhi Motor Vehicles Taxation (Amendment) Bill, 1965. Mr. Chordia to continue his speech.

**श्री विमलकुमार मन्नालालजी**  
**श्रीरङ्गिया (मध्य प्रदेश) :** उपसभापति महोदया, कल मैं दिल्ली मोटर वहिकल्स टैक्सेशन (अमेंडमेंट) बिल पर चर्चा कर रहा था। चर्चा के दौरान मैंने यह निवेदन किया था कि इनमें जो जेडप्लूड में परिवर्तन किया जा रहा है उसमें कोई भी एम्बेस्यूटी मल में जो प्रावधान था उसमें नहीं था। अब हम उसे टैक्स को कम कर रहे हैं, यह स्पष्ट है और यह कह कर हमको चलना चाहिए। मझे आश्चर्य होता है कि जब वहस चल रहा था उस के दौरान में माननीय मंत्री जी ने यह प्रणय किया कि हमने उसी हिसाब से लोगों से पैसा लिया जिस हिसाब से हम यह परिवर्तन कर रहे हैं। वास्तव में पुराने कानून को मंशा के अनुसार 11 टन का जो भाट्रक था, वहिकल था, उस से 1100 रुपया वसूल किया जाना चाहिए, परन्तु हमारी सरकार अभी तक उन से वसूल करती रहा 800 रुपया। तो यह भी एक प्रश्नवाचक चिह्न है जिस का उत्तर माननीय मंत्री जो को देना चाहिए—कि 11 टन के वहिकल वाली से कर्मों 300 रुपया कम लेते रहे।

दूसर, इसा सदभ म म निवदन कर रहा था सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली यातायात व्यवस्था के बारे में। टैक्स भी ले रहे हैं, अगर उस के बावजूद जो राहत जनता को होनी चाहिए वह राहत होती नहीं। ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मचारी, भगवान जाने न जाने, अब आप को क्या समझते हैं, उनके यहां लम्बे क्यू लगे रहते हैं। लोगों को मदद देनेकी अपेक्षा, उन की परेशानियां ही बढ़ाई जाती हैं। इस तरह से वहां भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है कि जो दो ट्रांसपोर्ट विभाग के इन्स्पेक्टर बकड़े गए थे, उन के यहां सामान जो निकला, वह उन की आमदनी के मुकाबले में बहुत ज्यादा था। उन को रिहायश का जो चार्ज है उन को देखते हुए तो ऐसा लगता है और यहां तक समझा जायगा कि अगर किसी व्यक्ति को ट्रांसपोर्ट के डिपार्टमेंट में नौकर रख दिया जाय तो वह वेतन भी नहीं मांगेगा और कहेगा कि मुझे यहां पर अपाइन्ट ही कर दोजिए, यही पर्याप्त है बाकी आमदनी का हिसाब-किताब मैं देख लूंगा। इस भयंकर भ्रष्टाचार के विभाग पर हमारी सरकार के द्वारा कुछ नियंत्रण किया जाना नितान्त आवश्यक है। हमारे इस विभाग का यह भी कर्तव्य है कि जनता के लिए अच्छा सुविधा दें—चाहे डी0 टी0यू0 की, चाहे कन्ट्रेक्ट करिज हों, कोई भी बसेज हों, वह बसें यात्रियों को अच्छी सुविधा दें। अब यह प्रश्न आता है कि इस दिल्ली के इतने बड़े शहर में, राजधानी के केन्द्र में डी0टी0यू0 का बसेज से या जो हायर को हैं कन्ट्रेक्ट करिज बसेज, उन से लोगों को सन्तोष है या नहीं। हमारे यहां के शासकीय कर्मचारियों को इप्टों का समय 10 से 5 तक है, लेकिन इस के लिए इन कर्मचारियों को सवा आठ बजे से या 9 बजे से खाना होना पड़ता है और शाम को 7 बजे तक घर पहुंचते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि यहां की यातायात व्यवस्था इतनी अव्यवस्थित है कि उस के कारण उस कर्मचारी को अपने कर्तव्य के लिए कार्यालय में पहुंचने के लिए. . .